न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 05/2013 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2013/00039

उनवान

1. कैलाशी पुत्र सामलिया
2. भगवत
3. महेश
4. संतोषी

(क्रमांक 2 से 4 पुत्रगण रामचरन) जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम दिनकटा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

..................अपीलाण्ट

बनाम

1. कढेरू
2. मिट्ठन

पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम दिनकटा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.... असल रैस्पोडेण्ट

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी वहैसियत भू स्वामी।

.... तरतीवी रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.12.2012 प्रकरण संख्या 77/08 उनवान कढेरू बनाम कैलाशी, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी।

अभिभाषकगण :–

1. श्री जानकीप्रसाद अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री भगवान सिंह नारौलिया अभिभाषक रैस्पो0 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :–21.12.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय दिनांक 29.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/असल रैस्पो0 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 92/1 रकवा 0–08 विस्वा, खसरा नम्बर 92/968 रकवा 0–02 विस्वा गैर मुमकिन कुँआ वाके ग्राम दिनकटा तहसील बसेडी में खसरा नम्बर 92/1 वादीगण/असल रैस्पो0 व प्रतिवादी/अपीलाण्ट संख्या 01, 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार व कब्जाधारी हैं। प्रतिवादी/अपीलाण्ट संख्या 02 लगायत 4 का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। खसरा नम्बर 92/968 रकवा 0–02 विस्वा गैर मुमकिन कुँआ है। जिसका निर्माण वादीगण/असल रैस्पो0 के पिता ने कराया था। पिता की मृत्यु के बाद वादीगण/असल रैस्पो0 विवादित कुँआ के खातेदार काश्तकार हैं व कुँआ का उपयोग व उपभोग वहिस्सा बराबर कर रहे हैं। प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट का कुँआ से कोई संबंध सारोकार नहीं है। फिर भी प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट विवादित कुँआ व विवादित आराजी खसरा नम्बर 92/1 के उपयोग व उपभोग में बाधा डालते रहते हैं एवं बिना भूमि रूपान्तरण कराये निर्माण कार्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
कैम्प-धौलपुर

कर रहे हैं। अतः विवादित आराजी का बॅटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2012 से प्राथमिक डिक्री करते हुये, तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलव किये गये। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद भी ना तो रैस्पो० एवं ना ही उनके अभिभाषक उपस्थित आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलाण्ट ने 20 वर्ष पूर्व से विवादित आराजी का बाहमी विभाजन होना कथन किया है व साबित भी किया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान ना देते हुये कयासो के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है एवं अपीलाधीन आदेश भी तनकीवार नहीं किया है। जबकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी गौर नहीं किया है कि इन्ही खसरा नम्बरान के संबंध में पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.09.2003 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी प्रकरण संख्या 2/2000 उनवानी कढेरू बनाम राजेन्द्र वगै० में भी यही आराजी विवादित है तथा पक्षकार भी भिन्न नहीं है तथा उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील संख्या 98/2009 कढेरू बनाम राजेन्द्र न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। जिसकी नकल भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध थी। अतः प्रकरण का निस्तारण नहीं करना चाहिये था। क्योंकि पूर्व के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.09.2003 अन्तिम डिक्री हो चुका था एवं उसकी अपील न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में वर्तमान वाद खारिज योग्य था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को प्राथमिक डिक्री करने में अहम कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त करने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलांट पर मनन किया। अपीलाण्ट की हस्तगत अपील में प्रमुखता से यह आपत्ति रही है कि विवादित आराजी का पूर्व में बाहमी विभाजन हो चुका है एवं इन्हीं खसरा नम्बरान के संबंध में पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी द्वारा अन्तिम डिक्री पारित कर दी है। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर विवादित आराजी का पूर्व में बाहमी विभाजन हुआ हो। ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बिना दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक कथन सारपूर्ण नहीं माने जा सकते। जहॉ तक विवादित आराजी बाबत् पूर्व में अन्तिम डिक्री होने का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो० द्वारा प्रतिवादी/अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र अधीन धारा 10 जा०दी० के जवाब प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकित किया है उक्त वाद एवं पूर्व वाद में ना तो वादकारण समान है एवं ना ही पक्षकार समान हैं तथा वादग्रस्त आराजी भी दोनों वादो में पृथक-पृथक है। इस कारण दोनों वादो की अलग-अलग प्रकृति है। उक्त जवाव प्रार्थना पत्र को प्रतिवादी/अपीलाण्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी

द्वारा प्राप्त किया जाकर एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षो की उक्त प्रार्थना पत्र अधीन धारा 10 जा0दी0 पर विधिवत सुनवाई की जाकर, प्रतिवादी/अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अतः हस्तगत अपील में पुनः उक्त आपत्ति सहज ग्राह्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना की जाकर दावा प्राथमिक डिक्री करते हुये, तहसीलदार से अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर पक्षकारान मुकदमा की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तलव किये हैं। जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप योग्य गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। पक्षकारान प्रकरण में कुर्रे प्रस्ताव तलव होने के पश्चात् उनपर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2012 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.12.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर